पत्रांक : वित्त–7–31/2002 (खण्ड–1) 3296/वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची/दिनांक : 15.9.14

संकल्प

विषय : सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के उपयोग हेतु वाह्य स्त्रोत से वाहन प्राप्त करने के संबंध में।

सम्प्रति सरकारी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कार्यों के सम्पादन के लिए राज्य की निधि से वाहनों का क्रय किया जाता है जिसकी स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर दी जाती है। इस प्रक्रिया में वाहनों के क्रय पर पहले तो पूंजीगत प्रकृति का व्यय होता है और फिर इसके संचालन एवं संधारण में आवर्त्तक व्यय होता है। इस तथ्य को दृष्टिपथ में रखते हुए दिनांक 03.10.2013 एवं 11.11.2013 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति बैठक में समिति ने यह अनुशंसा की है कि सरकारी प्रयोजन से नए वाहनों के क्रय के बदले वाह्य स्त्रोत से वाहन भाड़े पर लेने की व्यवस्था अपनाई जाय तो अपेक्षाकृत व्यय कम होगा।

2. प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा एवं उपर्युक्त पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिये निम्नरूपेण सरकारी वाहनों को आवश्यकतानुसार वार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक/दैनिक दर पर वाह्य स्त्रोत के आधार पर रखने का निर्णय लिया गया है :–

क्र॰	कार्यालय/पदाधिकारी का नाम	वाहन का प्रकार
1	जिला में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी	एम्बेसडर/टाटा सफारी/स्कॉर्पियों
2	जिला में पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं गैर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी	टाटा सूमो ग्रांड/बोलेरो एवं समकक्ष
3	अन्य विभागों के निदेशक एवं विशेष सचिव एवं समकक्ष	स्वीफट डिजायर/ टाटा इंडिगो, ई०सी०एस०/टोयोटा ईटोस,
4	विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष	मारूती एस० एक्स० 4/ होंडा सिटी/टोयोटा इटियॉस/टाटा सफारी (क्षेत्रीय भ्रमण हेतु)/टोयोटा इनोभा (क्षेत्रीय भ्रमण हेतु)
5	मुख्य सचिव एवं एपेक्स ग्रेड के पदाधिकारी	टोयोटा इनोभा/ टाटा सफारी/ होंडा सिटी/मारूति SX4
6	जिला स्तर के प्रोटोकॉल के लिए	स्वीफट डिजायर/टाटा इंडिगो, ई०सी०एस०/ टोयोटा इनोभा/ होंडा सिटी
7	मुख्यालय/सचिवालय के प्रोटोकॉल के लिए	मारूती एस० एक्स० 4/टोयोटा ईनोवा/ होंडा सिटी
8	मुख्यालय/सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों के लिए	मारूती वैन/ टाटा सूमो / बोलेरो/हुंडाई आई०–10/टाटा इंडिका

(i) वाह्य स्त्रोत से वाहन रखने की व्यवस्था भारत सरकार के मंत्रालय, CPSUs एवं विभिन्न विभागों में काफी पूर्व से है।

(ii) देश के कई राज्यों कर्नाटक/उत्तराखण्ड में यह व्यवस्था प्रचलित है।

(iii) वर्त्तमान में चालकों की संख्या प्रायः विभागों में काफी कम है। इस तरह वाह्य स्त्रोत से चालक Hire/engage कर ही वाहन का संचालन होता है।

3. वाह्य स्त्रोत से वाहन रखने से निम्न लाभ होगा :-

(i) सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा एवं निजी क्षेत्र में रोजगार एवं उद्यमिता बढ़ेगी।

(ii) Road Tax etc के रूप में Commercial वाहन निबंधन एवं आमदनी बढ़ेगी।

(iii) 6th PRC के क्रम में Administrative expenses घटाने के क्रम में नई नियुक्ति नहीं करनी होगी।

(iv) देश एवं अन्य राज्यों की अनुरूप expenditure reduction होगा।

(v) अनावश्यक वाहन का क्रय नहीं किया जायेगा एवं post use disposal की समस्या नहीं होगी। यथा प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाऊस, रिम्स, नामकुम परिसरों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है। यही स्थिति समाहरणालय/स्वास्थ्य/कृषि/पुलिस/ वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति भी ऐसी ही है। रद्दीकरण/ Auction लगभग नगण्य है। इससे करोड़ों की क्षति होती है।

(vi) Repair Cost 3rd - 4th year से वार्षिक रु० 50,000/- से 1,00,000 तक हो जाती है। यह unnecessary है। वाहन वर्षों unusable रहता है।

(vii) पुराने वाहन environment friendly नहीं है तथा सुदूर क्षेत्रों में विश्वसनीय भी नहीं होते है। VVIP Scot party के वाहन की गुणवत्ता को लेकर प्रश्न उठते है।

(viii) कई सरकारी वाहन unregistered, without road tax चलते है, दुर्घटना होने पर Government को Heavy compensation देना पड़ता है। इससे आर्थिक क्षति के साथ-साथ जनता को लाभ विलम्ब से मिलता है। कृषि विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वर्ष 2000 में हुई दुर्घटना का भुगतान 14-15 में किया है।

4. सरकारी वाहन मात्र निम्न पदधारकों/पदाधिकारी के लिए स्वीकृति एवं क्रय किया जायेगा :-

(i) संवैधानिक पदधारक

(ii) संवैधानिक पदधारक हेतु आवश्यक सुरक्षा वाहन

(iii) राज्य के ग्रेड पे रु० 10,000 के पदाधिकारी एवं उच्च पदधारक

(iv) क्षेत्रीय स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त/जोनल IG/DIG/उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त (ऐसे पदाधिकारी जो विधि व्यवस्था/उग्रवाद/ क्षेत्र भ्रमण/नियंत्रण में शामिल)

(v) अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/प्रखण्ड एवं अंचल अधिकारी (ऐसे पदाधिकारी जो विधि व्यवस्था/उग्रवाद/क्षेत्र भ्रमण/नियंत्रण में शामिल)

(vi) न्यायिक सेवा में DJ/ADJ/CJM

(vii) किसी अति विशेष परिस्थिति में प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में।

5.(i) कंडिका–4 के अतिरिक्त शेष सभी के लिए वाहन की व्यवस्था अधिमान्यता के आधार पर तय की जायेगी। वाहन की व्यवस्था वाह्य स्त्रोंतो से की जायेगी।

(ii) संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव को कार्य हेतु वाहन उपलब्ध/ आवंटित किया जायेगा।

(iii) वाह्य स्त्रोंतो से वाहन क्षेत्रीय स्तर के विभिन्न पदाधिकारी को मुख्यालय के बाहर भ्रमण इत्यादि हेतु वर्ष में 150 दिन तक के लिए लागू की जायेगी ताकि cost effective इस्तेमाल का उद्देश्य पूर्ण रहे।

(iv) जिला/प्रमण्डल एवं कार्य मुख्यालय से राँची, उच्च न्यायालय/सूचना आयोग/विभिन्न बैठक इत्यादि में पदाधिकारी सामान्यतः Public Transport का इस्तेमाल करे। इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।सरकारी वाहन/किराया का वाहन सामान्यतः इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा।

(v) ऐसे मुख्यालय जो 3 घंटे से ज्यादा समय अवधि में प्राईवेट वाहन से cover होते है, ऐसे में कंडिका– (iv) का पालन किया जाएगा।

6. सर्वप्रथम Outsourcing हेतु मासिक दर/दैनिक दर का निर्धारण निविदा के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा।

7. वाहनों को वाह्य स्त्रोत (Outsourcing) के आधार पर विभाग द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत ही रखा जा सकेगा।

8. निविदा हेतु Expression of Interest का प्रारूप (अनुसूची–I) एवं प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3081/वि० दिनांक 26.08.2014 के क्रम में दिनांक 04.09.2014 की बैठक के मद सं० 12 में दी गई है।

<u>आदेश</u> :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

12.9.2014

(राजबाला वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वित्त–7–31/2002 (खण्ड–1)–3296/वि० राँची, दिनांक 15.09.14

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.2014

(राजबाला वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वित्त–7–31/2002 (खण्ड–1) 3296/वि० राँची, दिनांक 15.09.14

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वित्त विभाग, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/श्री सरोज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.2014

(राजबाला वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : वित्त–7–31/2002 (खण्ड–1) 3296/वि० राँची, दिनांक 15.09.14

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा–19 को सूचना उपलब्ध करावें।

12.9.2014.

(राजबाला वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।